न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— **श्री सुनील कुमार-I, (RAS)**

अपील संख्या :— **03/2024** GCMS 2024/241

अपीलान्ट्स:—

1. लक्ष्मी पुत्री गणपत राम जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा तहसील कुचामन सिटी
2. बनारसी पुत्री गणपत राम पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा हाल निवासी निवासी मौलासर तहसील मौलासर

रेस्पोडेंट्स :—

1. ग्राम पंचायत चितावा जरिए सरंपचं
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चितावा
3. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी
4. कानाराम पुत्र लादूराम
5. राजूराम पुत्र लादूराम
6. मुन्ना राम पुत्र लादूराम
7. मिरकी देवी पुत्री लादूराम
8. अमरी देवी पत्नी गणपतराम
9. झाबरमल पुत्र गणपतराम
10. छोटूराम पुत्र गणपतराम
11. नेमाराम पुत्र गणपतराम रेस्पोडेंट संख्या 04 ता 11 जाति सभी कुम्हार निवासी ग्राम सुरतपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना—कुचामन

अपील बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 3866 दिनांक 18.07.2024 ग्राम पंचायत चितावा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थित :— श्री अशोकपुरी अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से
श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1,2 व 4 से 10 की ओर से

—:निर्णय :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:42:33 IST
Reason: SelfAttested

दिनांकः— 12/06/2025

वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इस अपील [illegible] संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ग्राम चितावा में स्वर्गीय लाडा देवी पत्नी [illegible] जाति कुम्हार के सह[illegible] का खेत खसरा नम्बर 60 कुल रकबा 3.02 हैक्ट[illegible] अवस्थित रही। लाड[illegible] पत्नी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

लादूराम का स्वर्गबास दिनांक 01.07.2023 को हो गया। लाडा देवी पत्नी लादूराम हिन्दू थी तथा हिन्दू मिताक्षरा लॉ से शासित होती थी इसलिए उनके वारिसान अपीलान्ट्स व रेस्पोडेंट संख्या 04 ता 11 हुए अपीलान्ट्स के पिता गणपत राम का स्वर्गबास लाडा देवी पत्नी लादूराम के स्वर्गवास से पूर्व हो चुका था। गणपतराम के वारिसान अपीलान्ट्स व रेस्पोडेंट्स संख्या 08 ता 11 है। लाडा देवी पत्नी लादूराम के स्वर्गवास दिनांक 01.07.2023 को हो चुका है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अन्तर्गत अपीलान्ट्स व रेसपोडेंट संख्या 04 ता 11 ही लाडा देवी पत्नी लादूराम उत्तराधिकारी होने से खातेदार हो गये एवं आज भी काबिज खातेदार है। अपीलांट्स एवं रेसपोडेन्ट्स संख्या 04 ता 11 का सजरा खानदान निम्नवत् है :–

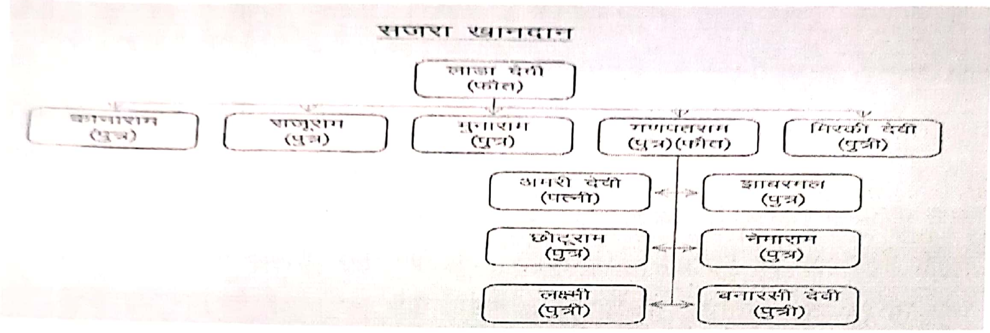

लाडा देवी पत्नी लादूराम के स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट्स का भाई छोटूराम ने अपने आपको व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 08, 09 व 11 को एवं रेस्पोडेंन्ट्स संख्या 04 ता 11 लाडा देवी पत्नी लादूराम का एक मात्र वारिस बताते हुए अपने नाम हल्का पटवारी से मिलकर गलत उत्तराधिकार के आधार पर गलत नामान्तरकरण संख्या 3866 दिनांक 18.07.2024 को अंकित करा लिया एवं ग्राम पंचायत चितावा से इसे दिनांक 05.08.2024 को स्वीकृत करवा लिया। उक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के हक अधिकार तक प्रारंभ से ही अवैध एवं शून्य है। उक्त नामान्तरकरण से रेस्पोडेंट्स संख्या 04 ता 11 का कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते। उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने में कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और न ही ग्राम पंचायत चितावा द्वारा लाडा देवी पत्नी लादूराम के वारिसान के संबंध में जांच की गई। केवल मात्र राजनैतिक प्रभाव से रेस्पोडेंट संख्या 04 ता 11 को लाडा देवी पत्नी लादूराम के विधिक वारिस बताते हुए विधि विरूद्ध नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जो गलत है। इस गलत नामान्तकरण के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 04 ता 11 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलान्ट्स एवं लाडा देवी पत्नी लादूराम के विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण खातेदार काश्तकार हैं एवं उनके अधिकार कानूनन सुरक्षित है। राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन के आधार पर अपीलान्ट्स के अधिकार प्रभावित नहीं होते। लाडा देवी पत्नी लादूराम के स्वर्गवासोपरान्त अपीलान्ट्स द्वारा लाडा देवी पत्नी लादूराम के सभी वारिसान के [illegible] नामान्तरकरण दर्ज करवाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:42:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

हल्का पटवारी से कहने पर व ऑन लाईन जमाबंदी की नकले प्राप्त करने पर राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 28.08.2024 को प्राप्त की अब अपीलान्ट्स को फर्जी नामान्तरकरण रेस्पोडेंट संख्या 04 ता 11 के नाम दर्ज होने के तथ्यों की जानकारी हुई। अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत चितावा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 3866 दिनांक 18.07.2024 को निरस्त फरमाया जावे तथा ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 60 कुल रकबा 3.02 हैक्टयर की खातेदारी लाडा देवी पत्नी लादूराम के स्थान पर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेंट्स संख्या 04 ता 11 के नाम दर्ज फरमाई जावे।

अपील अपीलान्ट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 ,2 व 4 से 10 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उपर्युक्त अनुवान प्रकरण में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। नामान्तरकरण संख्या 3866 दिनांक 18.07.2024 सहवन से गलत दर्ज कर दिया गया है। सजरा खानदान के अनुसार लाडा देवी का नामान्तकरण दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे। ग्राम पंचायत चितावा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3866 दिनांक 18.07.2024 को निरस्त फरमाया जावे एवं ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 60 कुल रकबा 3.02 हैक्टयर की खातेदारी लाडा देवी पत्नी लादूराम के स्थान पर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेंट्स संख्या 04 ता 11 के नाम दर्ज फरमाई जावे।

रेस्पोडेंट्स संख्या 01 व 02 को जवाब हेतु पर्याप्त दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब अवसर बंद किया गया। रेस्पोडेंट्स संख्या 03 व 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चितावा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकण संख्या 3866 दिनांक 18.07.2024 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार कुचामन सिटी को निम्नानुसार आदेश दिया जाता है :—

—: आदेश :—

ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 60 कुल रकबा 3.02 हैक्टयर भूमि में उत्तराधिकारी का नामान्तरण दर्ज करने के लिए अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट्स की विधिक सुनवाई कर नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही करावें।

निर्णय आज दिनांक 12/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:42:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner